न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 748 सन 2023
अनवान :–

1. कासम अली पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. अनवरी पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जमीला पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. मनवरी पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
5. शकिना पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
6. सलमा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
7. सायरा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/03/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा चक राजासर के खसरा न0 194 की 23.10 बीधा भूमि वादी के पिता गनी खां पुत्र अलारख जाति मुसलमान निवासी नोहर को दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गनी खां पुत्र अलारख एवं वादी के पिता गनी खां के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 की 23.19 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 194 की 23.10 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

वादी के पिता गनी खां वल्द अलारख जाति मुसलमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिनके वादी के पिता गनी खा पुत्र अलारख को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में गनीखां पुत्र अलारख के वारिस की हैसियत से विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है।

वादी के पिता गनी खां वल्द अलारख को रोही मौजा चक राजासर के साबिका खसरा 216 हाल खसरा न0 194 की 23.10 बीधा भूमि में से 15.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा चकराजासर के खसरा न0 216 की 7.08 बीधा व हाल खसरा न0 194 की 7.10 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 216 हाल खसरा न0 194 की 7.10 बीधा की भूमि दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गनीखां के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी गनी खां उसके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता गनीखां पुत्र अलारख के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम गैरखातेदार दर्ज है प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्से का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्से की भूमि है जिसे वादी बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता गनीखां वल्द अलारख को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता गनीखां नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गनीखां के देहान्त होने पर उनकी वारिसान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 264/255 के खसरा न0 194 की 1.8720हैक्‍ भूमि को वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा राजासर के खाता संख्या 264/255 के खसरा न0 194 की 1.8720हैक्‍ भूमि जो वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम को दिनांक 11.7.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता गनीखां के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता गनीखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमांवें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत एवं समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक राजासर के खसरा न0 194 की 23.10 बीधा भूमि वादी के पिता गनी खां पुत्र अलारख जाति मुसलमान निवासी नोहर को दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता गनी खां पुत्र अलारख एवं वादी के पिता गनी खां के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 की 23.19 बीधा भूमि भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 194 की 23.10 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

वादी के पिता गनी खां वल्द अलारख जाति मुसलमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिनके वादी के पिता गनी खा पुत्र अलारख को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में गनीखां पुत्र अलारख के वारिस की हैसियत से विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है।

वादी के पिता गनी खां वल्द अलारख को रोही मौजा चक राजासर के साबिका खसरा 216 हाल खसरा न0 194 की 23.10 बीधा भूमि में से 15.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा चकराजासर के खसरा न0 216 की 7.08 बीधा व हाल खसरा न0 194 की 7.10 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड [illegible]

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 216 हाल खसरा न0 194 की 7.10 बीधा की भूमि दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई जो पूर्व में वादी के पिता गनीखां के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी गनी खां उसके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता गनीखां पुत्र अलारख के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है प्रतिवादी संख्या 2 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

7 वादी की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रक़बा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 की कुल 23.19 बीधा भूमि गनी खां वल्द अलारख जाति मुसलमान निवासी नोहर को दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि गनी खां वल्द अलारख का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गनी खां वल्द अलारख के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि गनी खां वल्द अलारख को दिनांक 11.07.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता गनी खां के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी गनीखां के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के संम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 की 23.16 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 194 की 23.10 बीधा में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है तत्तपश्चात वाद भूमि को हैक्टयर में परिर्वतन की जाकर खसरा न0 194 की 1.8720हैक्‍ भूमि में पैमुद किया गया है।

वादी के पिता पिता गनी खां पुत्र अलारख को साबिका खसरा न0 216 की 23.19 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जिसमें से दिनांक 19.01.1977 को 15.00 बीधा भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये गये थे जो जरिये नामान्तकरण संख्या 61 के बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में पूर्व में वादी के पिता एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है वादी के पिता गनी खां को आवंटित कुल 23.19 बीधा में से 15.00 बीधा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जो प्रस्तुत नामान्तकरण से पूर्णत्या साबित है शेष 7.10 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार वादी चाहता है।

वादी के पिता गनी खां पुत्र अलारख जाति मुसलमान निवासी नोहर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिनके सम्बध में पेरोकार राज एवं अन्य पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है वादी का कथन है की तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया गया है उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाई वादी के पक्ष में त्या[illegible] भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम बतौर खातेदार राजस्व [illegible] दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों [illegible] /वसीयत की प्रति भी पेश की गई जिसके अनुसार दस्तबरदारी के द्वारा अपना हक हिस्सा त्याग किया जां चुका है एवं वसीयत अनुसार भी वाद ही वाद भूमि का हकदार है।

वादी के पिता गनी खां को रोही मौजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 194 में परिवर्तन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

न0 194 की भूमि जो वादी के पिता गनी खां को दिनांक 11.07.1968 कि आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता गनीखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी 2 ता 7 के नाम दर्ज है।

वादी के पिता गनी खां वल्द अलारख को रोही मौजा राजासर के साबिका खसरा 216 हाल खसरा न0 194 में आवंटित भूमि में से 15.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा चक राजासर के खसरा न0 194/1 की 1.8720हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादी के पिता गनीखां को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज गनीखां को आवंटन दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 11.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता किशनाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment, in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन झेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता गनीखां वल्द अलारख जाति मुसलमान निवासी नोहर (जो अन्य पिछडा जाति का सदस्य है) को रोही मौजा चक राजासर के साबिका खसरा न0 216 हाल खसरा न0 194 की कुल 1.8720हैक्‍ भूमि आवंटन दिनांक 11.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि गनीखां के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता गनीखां वल्द अलारख को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज गनीखां को आवंटन दिनांक 11.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 11.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वादी वाद भूमि का हकदार है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 264/255 के खसरा न0 194/1 की 1.8720हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कासम अली पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. अनवरी पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जमीला पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. मनवरी पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
5. शकिना पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
6. सलमा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
7. सायरा पुत्री गनी खां जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 748 सन 2023 निर्णय दिनांक – 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 264/255 के खसरा न0 194/1 की 1.8720हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 800/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested